

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य) ।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णीया-प्रभारी-अररिया/बाँका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/मधेपुरा/मुंगेर/
पूर्णीया/पटना/सुपौल/सारण/सिवान।

पटना -15, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्रकोड 02-2404007960101, माँग संख्या-02 अंतर्गत विषयशीर्ष-33.01-सब्सिडी में कुल ₹ 1,20,26,880/- (एक करोड़ बीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)09/2020-1985, दिनांक- 07.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र गव्य विकास योजना" के अंतर्गत सभी वर्गों के लिये कुल ₹ 48,48,24,800/- (अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ) मात्र के लागत व्यय पर सब्सिडी के रूप में अनुदान देने हेतु स्वीकृत किया गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र गव्य विकास योजना" के तहत विषयांकित विपत्रकोड के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 उन्नत नस्ल के दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर की डेरी ईकाई के स्थापना की योजना हेतु ₹4,48,92,000/- (रु० चार करोड़ अड़तालीस लाख बेरानवे हजार) मात्र स्वीकृत किया गया है।

3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 उन्नत नस्ल के दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर की डेरी ईकाई के स्थापना की योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयांकित बजटशीर्ष से उपबंधित राशि के अंतर्गत संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि ₹ 1,20,26,880/- (एक करोड़ बीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नवत राशि अतिरिक्त आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404007960101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404007960101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी		
		पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन	कुल योग:-
1.	4,50,00,000/-	1,24,02,720/-	1,20,26,880/-	2,44,29,600/-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष- 0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपत्रकोड 02-2404007960101, माँग संख्या-02 अंतर्गत विषयशीर्ष-3301-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से होगा।

6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।

(कृ०पृ०उ०)

7) विभागीय राज्यादेश सं0 1455 दिनांक 26.03.2025 के आलोक में 08(आठ) जिलों में स्वीकृत नये जिला गव्य विकास कार्यालय हेतु महालेखाकार(ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र निर्गत होने के उपरान्त संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन संबंधित नये जिला गव्य विकास कार्यालय को किया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/ बौका/गोपालगंज/जमुई/
किशनगंज/कटिहार/मधेपुरा/मुंगेर/पूर्णिया/पटना/सुपौल/सारण/सिवान को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- 17(आठ) पटना -15, दिनांक:- 19/09/2025.

प्रतिलिपि-प्रबंधक (आई0टी0), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (गव्य)
18.09.25

वित्तीय वर्ष 2025-2026में मुख्यशीर्ष,"2404- डेरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं विस्तार, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02- 2404007960101 के विषय शीर्ष- 0101.3301-सब्सिडी में समग्र गव्य विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिये 02 उन्नत नस्ल के दुधारु मवेशी/ बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में कुल ₹ 1,20,26,880/- (एक करोड़ बीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	02 उन्नत नस्ल के दुधारु मवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान हेतु अतिरिक्त आवंटन (रु० में)		कुल योग (रु०)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	732105	709920	732105	709920
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रभारी-अररिया	732105	709920	732105	709920
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	1679535	1628640	1679535	1628640
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	861300	835200	861300	835200
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमूई	775170	751680	775170	751680
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	947430	918720	947430	918720
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	732105	709920	732105	709920
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	1464210	1419840	1464210	1419840
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	861300	835200	861300	835200
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	775170	751680	775170	751680
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	645975	626400	645975	626400
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	732105	709920	732105	709920
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सारण	732105	709920	732105	709920
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सिवान	732105	709920	732105	709920
योग:-		12402720	12026880	12402720	12026880

(एक करोड़ बीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र।

निदेशक (गव्य)